

कार्यालय, जिला परिषद धनबाद।

जिला परिषद द्वारा निर्मित दुकानों का बन्दोबस्ती हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, धनबाद द्वारा निरसा हटिया के समीप निर्मित दुकानों को खुले डाक के माध्यम से प्रत्येक 11 माह के एकरारनामा के आधार पर उच्चतम डाकवक्ता को अस्थायी रूप से आवंटन हेतु आवेदन पत्रों की बिक्री एवं डाक में भाग लेने हेतु इस कार्यालय से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। प्रतिमाह भाड़े पर आधारित नवनिर्मित दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्ति इस सूचना में दिये गये नियम एवं शर्तों पर निर्धारित तिथि को Social Distancing का पालन करते हुए डाक में भाग ले सकते हैं।

क्र.	दुकान का नाम	दुकानों की संख्या	मासिक किराया (प्रतिमाह)	सुरक्षित जमा राशि	निलामी की तिथि
1	निरसा हटिया में 13 अदद दुकान (दुकान सं० 46 से 58 तक)	13	Rs. 1,000/- (per month)	1,00,000/- (एक लाख)	06-11-2020
2	निरसा हटिया में 15 अदद दुकान (दुकान सं० 31 से 45 तक)	15	Rs. 1,000/- (per month)	1,00,000/- (एक लाख)	07-11-2020
3	निरसा हटिया में 15 अदद दुकान (दुकान सं० 16 से 30 तक)	15	Rs. 1,000/- (per month)	1,00,000/- (एक लाख)	09-11-2020
4	निरसा हटिया में 15 अदद दुकान (दुकान सं० 01 से 15 तक)	15	Rs. 1,000/- (per month)	1,00,000/- (एक लाख)	10-11-2020

डाक की विस्तृत नियम एवं शर्तें जिला परिषद के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, धनबाद।

ज्ञापांक 829 दिनांक 15.10.2020

प्रतिलिपि :

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन धनबाद के सभी प्रमुख स्थानीय दैनिक यथा दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, दैनिक आज, बिहार ऑबजर्वर, दैनिक हिन्दुस्तान, प्रभात खबर को एक अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :

अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था, धनबाद-सह-वेब मैनेजर, धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निलामी सूचना को धनबाद जिला के वेबसाइट www.dhanbad.nic.in पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, धनबाद।